-प्रेस नोट-

दिनांक-03.01.2021 **जनपद मीरजापुर**

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा ग्राम सरिया बिन्दपुरवा में विद्युत केबल लगाने के पुराने विवाद को लेकर मारपीट कर युवक की हत्या में वांछित एक मात्र अभियुक्त गिरफ्तार—

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 21.12.2020 को थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरिया बिन्दपुरवा निवासी रामबृक्ष बिन्द पुत्र शिवनाथ बिन्द द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 20.12.2020 की रात्रि वादी का पुत्र संजय बिन्द उम्र करीब. 23 वर्ष जो बाजार से घर वापस आ रहा था कि रामविलास पुत्र राजबली निवासी सरिया बिन्दपुरवा थाना अहरौरा मीरजापुर सहित 09 लोगो द्वारा एकराय होकर लाठी डंडा व पत्थर से लैश होकर विद्युत केबल लगाने के पुराने विवाद को लेकर घेर कर मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर हत्या की सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग विवेचना एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना अहरौरा पुलिस द्वारा पूर्व में कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष एक मात्र वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 03.01.2021 को प्राप्त मुखबीर खास की सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अहरौरा राजेश जी चौबे मय हमराह उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव ,उ0नि0 श्यामलाल,का0 सतीश पाल,म0का0 प्रियंका द्वारा वाछिंत अभियुक्त हरीहर उर्फ राधे पुत्र सिद्धनाथ निवासी सरिया बिन्दपुरवा थाना अहरौरा मीरजापुर बरदहपुर गेट के पास से समय 12.30 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।